न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 26/2010

सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1– श्री चैना पुत्र श्री प्रेमसिंह रावत
2. श्री लाखू पुत्र प्रेमसिंह रावत
3. श्री तारू पुत्र श्री प्रेमसिंह रावत
3. गुलाब पुत्र स्व0 प्रेमसिंह रावत
निवासी कानातों की बेर तहसील ब्यावर जिला अजमेर ......अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–
1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक– 14.12.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण को ग्राम कानातों की बेर तहसील ब्यावर जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 8340 रकबा 03–07–00 बीघा किस्म बीड भूमि, वर्ष 2002 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उस पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं करने कारण अप्रार्थीयान के पक्ष में किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अभिभाषक अप्रार्थीगण को बहस हेतु कई मौके दिये गये। पूर्व नियत दिनांक 30.11.2016 को भी अभिभाषक अप्रार्थीयान को पुनः अन्तिम मौका दिया गया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आये, रूक–रूक कर आवाजें लगवाने उपरान्त भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित राजकीय अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण को ग्राम कानातों की बेर तहसील ब्यावर जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 8340 रकबा 03–07–00 बीघा किस्म

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

15/12/16
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

बीड भूमि वर्ष 2002 में आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण को भूमि का कब्जा देने के उपरान्त भी उनके द्वारा आंवटित/नियमित भूमि पर कृषि कार्य काश्त एवं बुवाई नहीं की गई। अप्रार्थीगण को कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की शर्त अनुसार आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग करना चाहिए था, परन्तु आवंटीगण द्वारा आवंटित भूमि का काश्त हेतु उपयोग नहीं कर आवंटन की शर्तो का उल्लघन किया गया है। अतः ग्राम कानातों की बेर तहसील ब्यावर जिला अजमेर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 8340 रकबा 03–07–00 बीघा किस्म बीड का अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। खसरा गिरदावरी सं. 2059 से 2066 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु अप्रार्थी द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8–10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम कानातों के बेर की जमाबन्दी सं. 2066 से 2069 के अनुसार नियमित भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमों की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी के हक नहीं मिले हैं। राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार ''अतिचारियों को भूमि का आवंटन'' के उप नियम 1 के अनुसार भू संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार ''आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो'' के तहत् अप्रार्थीयान द्वारा उनके हक में नियमित की भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं की जाने से नियम 20(2) के तहत् प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिपेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम कानातों की बेर तहसील ब्यावर जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 8340 रकबा 03–07–00 बीघा किस्म बीड भूमि का अप्रार्थीयान के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

14/12/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner